(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

**अधिसूचना**

**सं. 21/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)**

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि "एमोक्सिसलीन" जिसे "एमोक्सिसलीन त्रीहयद्राते" के नाम से भी जाना जाता है (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2941 10 30 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो चीन जनवादी गणराज्य (एतद्पश्चात विषयागत देशों के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/05/2015-डीजीएडी, दिनांक 3 अप्रैल, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

(1) संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और कीमत ह्रास कर रहे हैं;

(2) बाजार के हिस्से और लाभ प्रदाता के रूप में घरेलू उपयोग के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है;

(3) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने संबद्ध देशेां से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (I) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में

सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

## सारणी

| क्र स. | टैरिफ मद | वस्तु विवरण * | उद्गगम देश | निर्यात का देश | उत्पादक | निर्यातक | राशि | मापन की इकाई | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 2941 10 30 | एमोक्सिलीन | चीन जंनवादी गणराज्य | चीन जंनवादी गणराज्य | नार्थ चाइना फार्मास्युटिकल ग्रुप सेमिसिनटैक कं0 लि0 (सेमिसिनटेक) | नार्थ चाइना फार्मास्युटिकल कं0 लि0 (एनसीपीसी) | 4.03 | कि.ग्रा. | अमरीकी डालर |
| 2 | -वही- | -वही- | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य | इनर मंगोलिया चांगशेंग फार्मास्युटिकल कं0 लि0 (चांगशेंग) | इनर मंगोलिया चांगशेंग फार्मास्युटिकल कं0 लि0 (चांगशेंग) | 3.00 | कि.ग्रा. | अमरीकी डालर |
| 3 | -वही- | -वही- | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य | झुहाई यूनाइटेड लैब्रोटरीज कं0 लि0<br>यूनाइटेड लैब्रोटरीज इनर मंगोलिया | झुहाई यूनाइटेड लैब्रोटरीज कं0 लि0 यूनाइटेड लैब्रोटरीज ट्रेडिंग कं0<br>टीम क्राउन ट्रेडिंग कंपनी<br>यूनाइटेड लैब्रोटरीज इनर मंगोलिया | 2.83 | कि.ग्रा. | कि.ग्रा. |
| 4 | -वही- | -वही- | चीन जंनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य | क्रम सं0 1 से 3 को छोड़कर कोई अन्य संयोजन | | 8.71 | कि.ग्रा. | अमरीकी डालर |
| 5 | -वही- | -वही- | चीन | चीन | कोई | केाई | 8.71 | कि.ग्रा. | अमरीकी |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जनवादी गणराज्य | जनवादी गणराज्य को छोड़कर अन्य कोई देश | | | | | डालर |
| 6 | -वही- | -वही- | चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर अन्य कोई देश | चीन जनवादी गणराज्य | कोई | कोई | 8.71 | कि.ग्रा. | अमरीकी डालर |

* टिप्पणी:- निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है:

i. एमोक्सिलीन सोडियम स्टराइड एंड फ्लूक्लोक्सालिन सोडियमस्टराइल ,
ii. एमोक्सिलीन ट्राइहाइड्रेट कम्पेक्टेड एम्पीसिलिनट्राइहाइड्रेट कम्पेक्टेड
iii. एमोक्सिलीन ट्राइहइट्रेट एंड क्लेवुलेनेट पोटाशियम

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

(फा. सं. 354/78/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार